आकाशवाणी केन्द्र शिमला

03.09.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18.00बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने और नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाने की तैयारी कर रही है। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन की बैठक में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं से भी इनपुट लिया जाएगा। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पांच प्रमुख नदियां हैं, जिनकी ड्रेजिंग और डिलिस्टिंग व्यवस्थित तरीके से की जाए तो राज्य को दो से तीन हजार करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ भी नियमों में बदलाव को लेकर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में आई आपदा के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नदी में जमा सामग्री हटाने के लिए ड्रेजिंग कराने का सुझाव दिया था। इसके बाद उद्योग विभाग ने ड्रेजिंग की अनुमति दी लेकिन माइनिंग की अनुमति नहीं मिली और अगली बरसात में काफी सामग्री बह गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल की एक बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ड्रेजिंग के दौरान रॉयल्टी नहीं लेने का सुझाव दिया, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि रॉयल्टी उसका अधिकार है। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नदियों में ड्रेजिंग का काम वन निगम के जरिए किया जा रहा है और इससे राज्य को सौ से 2 सौ करोड़ रुपये तक की आय हो रही है। इससे पहले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि ड्रेजिंग और माइनिंग अलग–अलग प्रक्रियाएं हैं और ड्रेजिंग के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी मिलने की है। चौहान ने बताया कि पूरे हिमाचल में करीब 3 सौ 24 साइट हैं, जिनमें अभी तक केवल पांच–छह जगहों पर वन मंजूरी मिल पाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विक्रम ठाकुर, और राकेश जम्वाल ने भी इसी मामले पर अनुपूरक सवाल पूछे और ड्रेजिंग से निकलने वाली सामग्री के मामले में घोटाले की आशंका जताई। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल में माइनिंग से रॉयल्टी की आय वर्ष 2024–25 में 3 सौ 56 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछली सरकार के समय यह करीब 2 सौ 40 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि नई माइनिंग नीति के बाद राजस्व में वृद्धि हुई है।

मुकेश अग्निहोत्री

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी से भेंट की और हिमाचल से संबंधित कई महत्वपूर्ण परिवहन मुद्दों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने प्रदेश के कॉन्ट्रेक्ट कैरिज वाहन संचालकों की लंबित मांग के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। अग्निहोत्री ने पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की स्वीकार्य आयु सीमा को 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। अग्निहोत्री ने राज्य में ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशन के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान कीरतपुर–बिलासपुर– मंडी मार्ग पर गति सीमा को 60 से बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर भी सहमति बनी। नीतिन गडकरी ने राज्य सरकार सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया और सभी निर्माणाधीन एटीएस केंद्रों का विवरण उपलब्ध करवाने को कहा। इसके लिए उपमुख्यमंत्री ने सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।

स्क्रब टायफस

मॉनसून सीज़न में स्क्रब टायफस और स्वाइन फ्लू के मामलें बढ़ने लगे हैं। शिमला जिले में स्क्रब टायफस के अभी तक 24 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशपाल रांटा ने कहा कि स्क्रब टायफस संक्रमित लार्वा माइट के काटने से होता है जो घास, झाड़ियों और घनी वनस्पति वाले इलाकों में पाया जाता है। डॉक्टर रांटा ने कहा कि समय पर पहचान होने पर इस रोग का ईलाज संभव है और जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाईयां उपलब्ध हैं।

उधर कांगड़ा जिला में जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू के 38 मामले आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश भारती ने कहा कि इनमें से कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू के शुरूआती लक्षण सामान्य सर्दी जुखाम हो सकते हैं।